

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2012-13/विशेष छूट/लीज/07 दिनांक : 16-4-12

—:: कार्यालय आदेश ::—

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अधिसूचना क्रमांक भूमि/एफ7(द)(498)डीएलबी/07/1584.1842 दिनांक 02.04.2012 की अनुपालना में आवंटियों को बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

1. यदि बकाया राशि ही जमा करवाई जाती है तो देय ब्याज में छूट 50 प्रतिशत दी जावेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ एक मुश्त लीज राशि (9वर्ष) जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जावेगी।

उपरोक्त छूट के लिए दिनांक 30.06.2012 तक आवेदन करना होगा तथा 30.09.2012 तक लीज राशि को जमा करना आवश्यक होगा।

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार